

**न्यायालय-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म.प्र.)**  
**(पीठासीन अधिकारी-डी.एस.मण्डलोई)**

विविध आप. प्र.क्र.-83 / 14

संस्थित दिनांक-16.08.2013

श्रीमती समीता उयके पति ढालसिंह उयके उम्र 35 वर्ष जाति ओझा,  
निवासी व पो. बोदा, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) - - - - - आवेदिका

- / / विरुद्ध / / -

ढालसिंह उयके पिता शंकरलाल उयके उम्र 37 वर्ष जाति ओझा,  
निवासी भांडी पिपरिया (ओझाटोला) थाना वारासिवनी  
तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट (म.प्र.) - - - - - अनावेदक

आवेदिका की ओर से श्री आर.के. प्यासी अधिवक्ता।

अनावेदक की ओर से श्री राजा चौधरी अधिवक्ता।

- :: आदेश :: -

**(आज दिनांक 18 / 11 / 2014 को पारित किया गया)**

(01) इस आदेश द्वारा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता, प्रस्तुति दिनांक 16 / 8 / 2013 का निराकरण किया जा रहा है।

(02) प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि आवेदिका का विवाह अनावेदक से दिनांक 05.05.2003 को ग्राम बोदा में जाति रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ।

(03) आवेदिका का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका का विवाह अनावेदक से दिनांक 05.05.2003 को ग्राम बोदा में जाति रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ विवाह उपरांत आवेदिका अनावेदक के साथ उसके गृह निवासी भांडी पिपरिया

(ओझाटोला) रही। विवाह के 2-3 माह बाद से अनावेदक शराब पीकर आवेदिका को गालियां व मारपीट कर कहने लगा कि तेरा बाप डाक विभाग जबलपुर में सरकारी नौकरी में है, 10,000/- लेकर आ, मैं ठेकेदारी का लायसेंस बनाऊंगा। वह गर्भवती हुई तो पैसों की मांग कर कहने लगा मैं तेरी डिलेवरी का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। आवेदिका को अनावेदक ने घर से निकाल दिया। दिनांक 01.6.2004 को पुत्र रिचीत को जबलपुर हास्पिटल में जन्म दिया। पुत्र के जन्म की सूचना देने पर भी अनावेदक आवेदिका व बच्चे के पास मिलने नहीं आया। इस दौरान अनावेदक को बार-बार समझाने पर अनावेदक जनवरी 2005 में जबलपुर आकर आवेदिका एवं अपने बच्चे को लेकर अपने गृहग्राम ले गया। बच्चे की तबीयत खराब होने से अनावेदक द्वारा आवेदिका को गाली गलौच, मारपीट कर कहा कि तु बच्चे को लेकर अपने बाप के पास जबलपुर जा तो आवेदिका बच्चे को लेकर पिता के पास जबलपुर आ गई। फिर आवेदिका ने 2005 से 2009 तक अपने पुत्र रिचीत का इलाज अपने पिता के यहां जबलपुर में रहकर कराया। इसी दौरान दिनांक 26.10.2009 को अनावेदक-आवेदिका के पुत्र की मृत्यु इलाज के दौरान हो गई जिसकी सूचना अनावेदक को देने पर भी वह नहीं आया। सन 2010 में अनावेदक आवेदिका से कहने लगा कि मैं तेरे को अपने साथ नहीं रख सकता। आवेदिका अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और नहीं ऐसा कोई काम-काज जानती है, जिससे वह अपना भरण पोषण कर सके। अनावेदक ठेकेदार है, उसके पास ग्राम भांडीपिपरीया में दो फसलीय सिंचित भूमि रकबा 2.00 एकड़ है। अनावेदक को ठेकेदारी से 10,000/- प्रतिमाह एवं कृषि से भी आय होती है। अतः आवेदिका को अनावेदक से 3,000/- रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण राशि दिलाई जाये।

**(04)** अनावेदक ने आवेदिका के अभिवचनों को अस्वीकार कर खंडन में कथन किये हैं कि विवाह पश्चात आवेदिका अनावेदक के घर में एक माह ठीक से रही उसके बाद अनावेदक व उसके परिवार के लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लगी और अपने पिता के यहां जबलपुर में रहने कहने लगी। आवेदिका बिना बताए अपनी मर्जी से मायके चली गई। आवेदिका अनावेदक के संसर्ग से गर्भवती हुई तो ज़िद करके डिलेवरी हेतु जबलपुर चली गई एवं वहां दिनांक 01.6.2004 को एक पुत्र को जन्म दिया। सूचना पर

अनावेदक जबलपुर गया एवं संपूर्ण खर्च वहन करने के बाद आवेदिका को अपने साथ चलने कहा तो आवेदिका इंकार कर दी। बच्चे का स्वास्थ्य खराब होने एवं उसकी मृत्यु की अनावेदक को कोई सूचना नहीं दी गई। अनावेदक को 2-4 दिन बाद पुत्र की मृत्यु की सूचना मिलने पर वह जबलपुर गया तो उसे गाली गलौच कर धमकी देकर भगा दिए। अनावेदक आवेदिका को अपने साथ रखकर सुखमय दाम्पत्य जीवन निवेदन का हर संभाव प्रयास किया किंतु आवेदिका अपने पिता की शासकीय नौकरी का धौंस देकर अपने मायके में रहने की जिद पर अड़ी रही और बिना उचित व पर्याप्त कारणों से अपने मायके में निवास कर रही है, जबकि अनावेदक आज भी आवेदिका को अपने साथ रखकर सुखमय दाम्पत्य जीवन निर्वहन करने तैयार है। अनावेदक कोई ठेकेदारी का कार्य नहीं करता है और वह एक गरीब मजदूर व भूमिहीन व्यक्ति है। उसके पास आय का कोई निश्चित साधन नहीं है। आवेदिका का आवेदन विधिविरुद्ध है सव्यय निरस्त किया जावे।

(05) आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र का निराकरण करने हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आवेदिका अनावेदक की वैध विवाहित पत्नी है और दाम्पत्य जीवन के दौरान बच्चे का जन्म हुआ था ?
- (2) क्या आवेदिका को अनावेदक से पृथक रहने का पर्याप्त कारण है तथा अनावेदक आवेदिका का भरण पोषण करने में सक्षम व्यक्ति होते हुये भी भरण पोषण में उपेक्ष बरत रहा है ?
- (3) क्या आवेदिका अनावेदक से भरण पोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारी है ?

सकारण निष्कर्ष :-

विचारणीय बिंदु 1 एवं 2 :-

- (06) आवेदिका समीता उयके (आ.सा.01) का कहना है कि अनावेदक ढालसिंह

उयके से उसका विवाह वर्ष 2003 में हिंदू रीति रिवाज एवं जाति रिवाज अनुसार ग्राम बोदा में सम्पन्न हुआ था। शादी के एक-दो माह तक उसके पति एवं ससुरालवालों ने अच्छे से रखा उसके बाद अनावेदक उसका पति शराब पीकर आता और उसे गंदी-गंदी गालियां देता और मारपीट करता और बोलता था कि तेरे मां-बाप से पैसे लेकर आना और मारपीट करता था। विवाह के चार महीने बाद वह गर्भवती हुई तो अनावेदक उसका पति उसे बोलता था कि वह उसका और बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकता और मारपीट करता था और उसे घर से निकाल दिया। जब से वह उसके पिता के पास जबलपुर में रहने लगी और बच्चे को जन्म दिया। अनावेदक ने बच्चा होने पर भी उसकी कोई खोज खबर नहीं ली और बच्चा बीमार हुआ तो भी अनावेदक ने बच्चे की कोई खोज खबर नहीं ली। वर्ष 2009 में बच्चे की ईलाज नहीं होने के कारण मृत्यु हो गई। अनावेदक उसके पति ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया जब से वह उसके पिता के पास रहकर जैसे-तैसे जीवन यापन कर रही है। अनावेदक ठेकेदारी कार्य करता है। उसका अच्छा खासा व्यवसाय चलता है और लाखों रुपये कमा लेता है और वह भूखे रह रही है। अनावेदक से उसे खाने पीने और पहनने के लिये कपड़े इत्यादि के लिये 5,000/- रुपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि दिलाई जाये।

(07) आवेदिका समीता उयके (आ.सा.01) के समर्थन करते हुए ईश्वरगुलाम मरकाम (आ.सा.02) का कहना है कि आवेदिका एवं अनावेदक का विवाह वर्ष 2003 में रीति रिवाज से ग्राम बोदा में सम्पन्न हुआ। अनावेदक विवाह के 3-4 महीने बाद ही आवेदिका को गाली गलौच, मारपीट करने लगा। अनावेदक ने आवेदिका को उसके घर जबलपुर भेज दिया था। अनावेदक उससे तथा आवेदिका से कहता कि मुझे अपने काम के लिये 10,000/- की आवश्यकता है और आवेदिका से कहता कि तुम अपने पिता से मांग कर लाओ। इसके बाद आवेदिका गर्भवती हो गई तो अनावेदक ने डिलीवरी हेतु आवेदिका को जबलपुर पहुंचा दिया। अनावेदक ठेकेदारी का काम करता है जिससे माह में बीस-पच्चीस हजार रुपये कमा लेता है। उसकी पुत्री कोई काम नहीं करती।

(08) अनावेदक के अधिवक्ता ने अनावेदक की ओर से किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराये हैं।

(09) आवेदिका समीता उयके (आ.सा.01) एवं आवेदिका की ओर से प्रस्तुत साक्षी ईश्वरगुलाम मरकाम (आ.सा.02) के कथनों से आवेदिका अनावेदक की वैध विवाहित पत्नी है। अनावेदक द्वारा आवेदिका के साथ मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और बच्चे होने पर परिवारिश में एवं भरण पोषण करने में उपेक्षा बरती यह भी साक्ष्य विवेचना से परिलक्षित होता है। अनावेदक आवेदिका के भरण पोषण करने में भी सक्षम व्यक्ति होते हुये भी अनावेदक आवेदिका का भरण-पोषण करने में उपेक्षा बरत रहा है। यह भी आवेदिका एवं आवेदिका की ओर से प्रस्तुत साक्षी के कथनों से परिलक्षित होता है।

(10) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर आवेदिका अनावेदक की विवाहित पत्नी है और अनावेदक द्वारा आवेदिका को मारपीट कर घर से भगा दिया, जिसके कारण आवेदिका अनावेदक से पृथक रहने का पर्याप्त कारण है। अनावेदक आवेदिका के भरण-पोषण में उपेक्षा बरत रहा है। यह भी साक्ष्य विवेचना से प्रमाणित होता है।

### विचारणीय बिंदु क्रमांक 3 :-

(11) विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 व 2 के निष्कर्ष के आधार पर आवेदिका अनावेदक की वैवाहित पत्नी है और अनावेदक द्वारा आवेदिका के साथ मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। अनावेदक आवेदिका के भरण-पोषण करने में सक्षम व्यक्ति होते हुये भी आवेदिका के भरण-पोषण में उपेक्षा बरत रहा है। प्रमाणित होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत आवेदिका अनावेदक से भरण-पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारी है। किन्तु आवेदिका समीता उयके (आ.सा.01) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने आवेदन में 3,000/- रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण की माँग की है। आवेदक के पास कृषि भूमि नहीं है। साक्षी ईश्वरगुलाम मरकाम (आ.सा.02) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि अनावेदक किस विभाग में ठेकेदारी करता है उसे जानकारी नहीं है। इससे अनावेदक ठेकेदारी करके 20,000-25,000/- रुपये कमाता लेता है यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है। अनावेदक शारीरिक रूप से असक्षम है ऐसा भी अनावेदक की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि अनावेदक मजदूरी/ठेकेदारी में



5000 /— रुपये प्रतिमाह अर्जित कर लेता होगा। अनावेदक आवेदिका का भरण—पोषण करने में सक्षम व्यक्ति है।

(12) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर आवेदिका अनावेदक से भरण—पोषण प्राप्त करने की अधिकारी होना प्रमाणित होने से आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 स्वीकार कर अनावेदक को आदेशित किया जाता है कि वह आवेदिका को आदेश दिनांक से प्रतिमाह 1000 /— (एक हजार रुपये) भरण—पोषण अदा करें।

(13) आदेश की एक प्रति आवेदिका को निःशुल्क दी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

मेरे उद्बोधन पर टंकित  
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट